इ-मेल द्वारा प्राप्त

संख्या–515 /आठ–1–24–34बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक: 15 जुलाई, 2024

विषयः– वर्ष 2024–25 के पौधरोपण लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जा रही तैयारियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–476/आठ–1–24–34 बैठक/2017 टीसी दिनांक 03.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणवार पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य योजना तैयार कर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, परन्तु 13 अभिकरणों यथा–बांदा, मथुरा–वृन्दावन, उन्नाव–शुक्लागंज, अयोध्या, सहारनपुर, बागपत–बडौत–खेकड़ा, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर–विन्ध्यांचल, कपिलवस्तु, चित्रकूट, कुशीनगर एवं शक्तिनगर द्वारा अभी तक कार्य योजना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2– इस सम्बंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में वृक्षारोपण अभियान–2024–25 की तैयारी समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 13.07.2024 में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

(1) दिनांक 17.07.2024 तक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन/गढ़ढों की खुदाई का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय।

(2) जिन प्राधिकरणों द्वारा अभी तक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गयी, उनके द्वारा तत्काल अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

(3) दिनांक 17.07.2024 तक सभी अभिकरणों द्वारा वन विभाग को पौधों हेतु मांग पत्र/इण्डेन्ट प्रेषित कर दिया जाय।

(4) प्रेषित मांग पत्र के सापेक्ष दिनांक 18.07.2024 तक पौधों का उठान सुनिश्चित कर दिया जाय।

(5) लगाये गये पौधों की सुरक्षा हेतु शासनादेश दिनांक 03.08.2020 में वर्णित प्राविधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

Scanned with ACE Scanner

(6) नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के माध्यम से वृक्षारोपण के आवंटित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति कराते हुए उनकी जियो मैपिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(7) शहरी क्षेत्र में उपलब्ध आवासीय, अनावासीय परिसर, पार्क व अन्य रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाय।

(8) विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति में पौध रोपण की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाय।

(9) शहरों में वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण हेतु घने मियावाकी वन की स्थापना की जाय।

(10) हाउसिंग कालोनी एवं नियंत्रणाधीन परिसरों में वृक्षारोपण कराया जाय।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
13/7/24

(डा0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/आठ–1–24–34बैठक/2017टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु की गयी कार्यवाही की अद्यतन सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव

Scanned with ACE Scanner